21-A-33/22/12/2017-Estt.-Part(1) I/3424078/2026



कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय/ REGIONAL OFFICE, पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005 PANCHDEEP BHAWAN, SARVODAYA NAGAR, KANPUR-208005 Phone: 0512-2217957

Email: rd-up@esic.nic.in

पत्र सं. 21-A-33/22/12/2017-Estt. Part(1)

दिनांक: 01-01-2026

## <u>कार्यालय आदेश सं. 02 वर्ष 2026</u> Office Order No. 02 of Year 2026

सक्षम अधिकारी ने दिनांक 16.12.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारी की प्रवर श्रेणी लिपिक से सहायक पद पर नियमित पदोन्नति के आदेश दिए हैं। वेतनमान 7th CPC Pre-Revised (PB-2 ₹9300-34800 + GP ₹4200) में नियमानुसार देय होगा।

On the basis of recommendations made by Departmental Promotion Committee held on 16.12.2025, the Competent Authority has ordered for the regular promotion of the following officials from the post of Upper Division Clerk to the post of Assistant. The pay scale shall be admissible as per rules in 7th CPC Pre-Revised (PB-2 \$9300-34800 + GP \$4200).

|    | कर्मचारी का नाम, पद,<br>कर्मचारी संख्या | श्रेणी | पदोन्नति की<br>श्रेणी | वर्तमान तैनाती स्थान | आदेशित नियमित पद व तैनाती स्थान                        |
|----|---|--------|-----------------------|----------------------|--|
| 01 | मनीषा मौयो, प्र.श्रे.लि.,<br>172784     | OBC    | I UK                  | •                    | सहायक, निजी सचिव अनुभाग, क्षेत्रीय<br>कार्यालय, कानपुर |

उक्त कर्मचारी की नियमित पदोन्नति कर्मचारी द्वारा आदेशित पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी तथा निम्नलिखित रिट पिटिशन के अंतिम निर्णय के अधीन होगी-

The regular promotion of the above-mentioned employees shall be effective from the date of assumption of charge by the employee and subject to the final decision of the following writ petition-

| Sr. | No. | Particulars  |
|-----|-----|--|
| 01  |     | O.A. No. 3749/2018 in the CAT Principal Bench, New Delhi                       |
| 02  |     | O.M. No. 36012/11/2016-Estt. (Res-1) (Pt.II) issued by DOP&T, dated 15.06.2018 |

उक्त कर्मचारी की नियमित पदोन्नति अस्थाई आधार पर की गई है तथा ऐसी सेवा शर्तों के अधीन है, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी वृन्द एवं सेवा शर्तें विनियम 2023), जो समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है, में उल्लिखित हैं।

The regular promotion of the aforesaid employees has been made on a temporary basis and are subject to such service conditions as are mentioned in the Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service Regulations 2023), as amended from time to time.

पदोन्नत कर्मचारी का वेतन नियतन FR22(I)a(I) के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। पदोन्नत कर्मचारी को इस आदेश के जारी होने की तिथि से 01 माह के अंदर FR22(I)a(I) के अंतर्गत वेतन नियतन हेतु अपना विकल्प देना होगा। विलम्ब से प्राप्त विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा।

The pay fixation of the promoted employees will be done as per rules under the provisions of FR22(I)a(I). The promoted employees must submit their option for pay fixation under FR22(I)a(1) within one month from the date of issue of this order. Options received late will not be considered.

पदोन्नति स्वीकार/अस्वीकार करने की सूचना यथाशीघ्र स्थापना-। शाखा को प्रेषित कर दी जाए तथा आवश्यक कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट स्थापना-। एवं स्थापना-॥ शाखा को भेज दी जाए ।

Information regarding acceptance/rejection of the promotion must be sent to Establishment Branch-I, Regional Office, Kanpur and necessary relieving/joining report may be sent to all concerned as soon as possible.

21-A-33/22/12/2017-Estt.-Part(1) 1/3424078/2026

## (अनुराग कुमार/ Anurag Kumar) उप निदेशक (स्थापना-।)/ Dy. Director (Estt-I)

## प्रतिलिपि-

- 1. संबंधित कर्मचारी (नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से) / The employee concerned (through the controlling officer).
- 2. महानिदेशक (स्थापना-II), मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / The Director General (Establishment-II), Headquarters, Employees' State Insurance Corporation, Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi for information and necessary action.
- 3. क्षेत्रीय निदेशक महोदय के निजी सचिव, निजी सचिव अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को सूचनार्थ / Private Secretary to Regional Director, Private Secretary Section, Regional Office, Employees' State Insurance Corporation, Kanpur for information and necessary action.
- 4. शाखाधिकारी, वित्त एवं लेखा / रोकड़ / स्थापना-II/ सतर्कता / राजभाषा /आई.टी., क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु / Branch Officer, Finance & Accounts/ Cash/ Establishment -II/ Vigilance/ Rajbhasha/ IT Branch, Regional Office, Employees' State Insurance Corporation, Kanpur for information and necessary action.
- 5. शाखाधिकारी, आई.टी. शाखां, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस कार्यालय आदेश को क्षे.का., कानपुर की वेबसाइट पर अपलोड करायें / The Branch Officer, IT Branch, Regional Office, Employees' State Insurance Corporation, Kanpur with the request to kindly upload this office order on the website of Regional Office, Kanpur.
- 6. नोडल अधिकारी, ई-आफिस, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु / Nodal Officer, E-Office, Regional Office, Employees' State Insurance Corporation, Kanpur for information and necessary action.
- 7. सहायक, वरिष्ठता/ रोस्टर / DA Seniority/Roster.
- 8. कार्यालय आदेश पुस्तिका / Office Order File.